



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 753]
No. 753]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 15, 2009/वैशाख 25, 1931
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 15, 2009/VAISAKHA 25, 1931

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2009

का.आ. 1219(अ).—केन्द्रीय सरकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण विधायक, 1960 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 24 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“24क. पूर्व परिसीमित निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों की तैयारी के लिए विशेष उपबंध.—(1) नियम 24 में अंतर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि अंतिम परिसीमन से पूर्व किसी निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली आत्यंतिकतः तैयार करना आवश्यक हो, तो निर्वाचन आयोग यह निदेश दे सकेगा कि वह—

(क) नये परिसीमित निर्वाचन क्षेत्रों या उसके सुसंगत भागों के तत्स्थानी क्षेत्रों जो पूर्व परिसीमित निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट थे, ऐसी नामावलियों को एक साथ जोड़ करके; और

(ख) ऐसी तैयार की गई नामावलियों के क्रम विन्यास, क्रम संख्यांकन और शीर्षक आदि में समुचित परिवर्तन करके, तैयार की जाए।

(2) ऐसी तैयार की गई नामावली नियम 22 में विनिर्दिष्ट रीति में प्रकाशित की जाएगी और ऐसे प्रकाशन पर वह संबद्ध पूर्व परिसीमित निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामावली होगी।”

[फा. सं. एच-11019(2)/2009-वि.-II]

बी. के. भसीन, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण में अधिसूचना सं. का.आ. 2750(अ), तारीख 11 नवम्बर, 1960 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन का.आ. 934(अ), तारीख 18 अगस्त, 2003 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2009

S.O. 1219(E).—In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Central Government, after consulting the Election Commission, hereby makes the following rules further to amend the Registration of Electors Rules, 1960, namely :—

1. (1) These rules may be called the Registration of Electors (Amendment) Rules, 2009.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. After rule 24 of the Registration of Electors Rules, 1960, the following rule shall be inserted, namely :—

“24A. Special provision for preparation of rolls of pre-delimited constituencies.—(1) Notwithstanding anything contained in rule 24, if the electoral roll of any constituency prior to the last delimitation is required to be prepared urgently, the Election Commission may direct that it shall be prepared—

(a) by putting together the rolls of the new delimited constituencies or relevant parts thereof corresponding to the areas as were comprised within the pre-delimited constituency; and

(b) by making appropriate alterations in the arrangement, serial numbering, headings, etc., of the roll so prepared.

(2) The roll so prepared shall be published in the manner specified in rule 22, and shall, on such publication, be the roll for pre-delimited constituency concerned.”

[F. No. H-11019(2)/2009-Leg. II]

V. K. BHASIN, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* Notification Number S.O. 2750(E), dated the 11th November, 1960 and last amended *vide* Number S.O. 934(E), dated the 18th August, 2003.